



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]
No. 28]

सई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30, 1982/माघ 10, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1982/MAGHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1982

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 को लागू मानी जाएगी।

[फा सं० पी डब्ल्यू/पी टी बी-62/81]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30 January, 1982

सं० का० नि० 36(अ)—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० 263 (अ) दिनांक 26 मार्च, 1979 को अधिकांत करते हुए कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित हितों के प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिश्चित करती है:—

सारणी

वे हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
वाणिज्यिक समुद्री विभाग	1
सीमा शुल्क विभाग	1
गुजरात सरकार	1
रक्षा सेवाएं	1
भारतीय रेल	1
कांडला मुक्त से व्यवसाय क्षेत्र	1
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1
	कुल 9

G.S.R. 36(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 263 (E) dated 26th March, 79 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)
Labour employed in the Port	2
The Mercantile Marine Department	1
The Customs Department	1
The Government of Gujarat	1
The Defence Services	1
The Indian Railways	1
Kandla Free Trade Zone	1
Ministry of Shipping & Transport	1
Total	9

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F. No. PW/PTB-62/81]

3. इस अधिसूचना को 1 अप्रैल, 1982 को लागू माना जाएगा।

[फा० सं० पी डब्ल्यू/पी टी बी-62/81]

एस० पी० एम्ब्रोस,
अपर सचिव

सा० का० नि० 37(अ)।—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अर्थ (2) को व्यवस्थाओं के अनुसरण में, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना 264 (अ) दि० 26 मार्च, 1979 को अधिश्रान्त करते हुए, कांडला पत्तन के न्यायी बोर्ड में, निम्नलिखित सारणी के क्रम 2 और 3 में तत्संबंधी प्रविष्टियों में दर्शित, प्रत्येक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या की विनिश्चित करती है:—

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन, उक्त सारणी की क्रम संख्या 5 और 6 के सामने वर्णित, निकायों की दशा में ऐसे निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

सारणी

क्रम सं०	निकायों के नाम	हित	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन	पोनम्बार्मा	1
2.	गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, अहमदाबाद	पोतवणिक	1
3.	नोर्थर्न इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, चंडीगढ़	पोतवणिक	1
4.	गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, गांधीधाम	पोतवणिक	1
5.	भारतीय खाद्य निगम	पोतवणिक	1
6.	भारतीय तेल निगम लि०	पोतवणिक	1
7.	गांधीधाम नगर पालिका	अन्य हित	1
		कुल	7

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 1 मार्च, 1982, को समाप्त होने वाली अवधि की ऐसी अवधि के रूप में विनिश्चित करती है, जिसके अन्तर्गत व्याप्तियों का निर्वाचन किया जाएगा:—

G.S.R. 37(E) In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Acts, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No.G.S.R. 264(E) dated 26th March, 1979 the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests, shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the port of Kandla:

Provided that in the case of bodies mentioned against serial numbers 5 and 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the persons to be elected by such bodies shall be appointed by the Central Government.

TABLE

Serial Number	Name of bodies	Interests	Number of persons to be elected
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indian National Shipowners Association	Shipowners	1
2.	Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad.	Shippers	1
3.	Northern India Chamber of Commerce & Industry, Chandigarh.	Shippers	1
4.	Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, Gandhidham.	Shippers	1
5.	Food Corporation of India	Shippers	1
6.	Indian oil Corporation Limited	Shippers	1
7.	Gandhidham Municipality.	Other interests	1
	Total:		7

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid, Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 1st March, 1982, as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F. No. PW/PTB-62/81]
S. P. AMBROSE, Addl. Secy